Here is the Law Minister. When he was speaking on some other Bill, permit me to quote him. He was reminded about the mid night of 14th August and the beginning of the 15th August, when late Pandit Jawahar Lal Nehru spoke in the historic august body of the Constituent Assembly. He said, in ringing words, at the stroke of mid-night hour, "When the world sleeps, India will awake to life and freedom." A moment comes which comes but rarely in history, when we step out from the old to the new, when an age ends, and the soul of a nation, long-suppressed, finds its utterance.

I am sure, you will be able to see that the physically and socially handicapped men in this country will be able to get a preferential opportunity so that they will be able to enjoy the fruits of their labour and fruits of their toil. Really speaking, those ringing words of Pandit Nehru, on the mid-night of 14th August, 1947 will come to fruition and they will realise that we have fulfilled our tyrst with destiny. I hope, in that spirit, the Minister of Law and the House will accept my Bill unanimously.

THE MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI P. SHIV SHANKAR): The Minister of Labour.

PROF. MADHU DANDAVATE: Whoever it is; the Minister concerned.

MR. CHAIRMAN: Motion moved:

"That the Bill to provide for employment to blind persons and for matters connected therewith or incidental thereto, be taken into consideration."

SHRI MOOL CHAND DAGA (Pali): I beg to move:

"That the Bill be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon by 30 June, 1981." (1)

17.52 hrs.

ARREST OF MEMBERS

MR. CHAIRMAN: I have to inform the House that the following communication dated 6 March, 1981, from the Deputy Commissioner of Police, New Delhi Distirict, New Delhi, addressed to the Speaker, Lok Sabha, has been received:—

"I have the honour to inform you that I have found it my duty, in the exercise of my powers under Secuion 188 of the Indian Penal Code, to direct that Shri Mani Ram Bagri, Ch. Multan Singh and Shri Jaipal Singh Kashyap, Hon'ble Members of the Lok Sabha who voluntarily courted arrests by contrevening the Prohibitory Orders promulgated u/s 144 cr. P.C. have been taken into custody at about 2.45 P.M. on 6-3-81 from Rajpath/Rafi Marg crossing in case FIR No. 102 PS, Parliament Street.

They are at present being kept at Dr. Ambedkar Stadium, Delhi Gate, Delhi and will be produced before the Metropolitan Magistrate, New Delhi, shortly."

17.53 hrs.

BLIND PERSONS (EMPLOYMENT) BILL—*Contd.*

श्री मूल चन्द डागा: मैं मधु दंडवते जी को इस विकलांग वर्ष में इस प्रकार के बिल को लाने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। एक बात मैं उन से समझना चाहता हूं। एज का उन्होंने इस में जिक्र नहीं किया। वह क्या होगी ?

सदन की भावनायें जो आपने बात कही हैं। उसके साथ आपकी बात बिल्कुल सही है। हमारा एक कल्याणकारी राज्य है। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या उसकी घोषणा

[श्री मूल चन्द डागा]

के अनुसार इन लोगों को नौकरियां दी गई है ? मुझे याद है 1977 में यह घोषणा की गई थी कि हर एक विभाग में एक अंधे को नौकरी दी जाएगी। योजना मंत्री बैठे हुए हैं। वह हमें आंकड़े दें कि किस विभाग में कितने ऐसे लोगों को नौकरियां दी गई हैं ? मैं समझता हूं कि उनके लिए इसके बारे में कोई भी आंकड़ा देना असंभव होगा। कई बार प्रधान मंत्री जी ने अपने भाषणों में विभिन्न विभागों को इनको नौकरियां देने के लिए कहा है। मैं समझता हूं कि मंत्री महोदय जब उत्तर देंगे तो बताएंगे कि किस विभाग में कितने ऐसे लोगों को नौकरियां दी गई हैं।

विभिन्न राज्य सरकारों से भी यह कहा गया था कि कुछ प्रतिशत नौकरियों वे इन लोगों के लिए सुरक्षित करें। मैं नहीं समझता किसी भी राज्य सरकार ने इस प्रतिशत को पूरा किया है। सौलह राज्य और यूनियन टैरिटरीज से कह गया कि वे आर्डर इशू करें और उन्होंने शायद किए भी हैं। राजस्थान के अन्दर दो प्रतिशत, जम्मू काश्मीर में तीन प्रतिशत, दिल्ली में तीन प्रतिशत, चंडीगढ़ में तीन प्रतिशत, हरियाणा में तीन प्रतिशत हिमाचल प्रदेश में तीन प्रतिशत, उत्तर प्रदेश में दो प्रतिशत, पश्चिमी बंगाल में दो प्रतिशत, गुजरात में चार प्रतिशत कर्नाटक में दो प्रतिशत, पांडचेरी में दो प्रतिशत स्थान इनके लिए सुरक्षित करने को कहा गया और प्रधान मंत्री का आर्डर है केन्द्रीय सरकार के लिए। बातें करने में हम सबसे आगे हैं, कोई स्टेट पीछे नहीं रहेगी। लेकिन काम क्या होगा भगवान जाने। कई मंत्रीगण यहां बैठे हुए हैं वह अपने सीने पर हाथ रख कर कहें कि कितने लोगों को उन्होंने नौकरी दी ? आर्डर निकल गया कि एक अंधे आदमी को नौकरी में लिया जाय। मैं इस ऐक्ट को क्यों जनमत के लिये परिचालित करना चाहता हूं उसके कारण बताऊंगा। मैं नहीं कह सकता कि आपके आंकड़े सही हैं। लेकिन इनके जो रजिस्टर में आंकड़े हैं वह बता रहे हैं, मैंने जो 1 करोड़ बताये वह आंकड़े ठीक हैं या नहीं मैं नहीं जानता. लेकिन रजिस्टर में यह आंकड़े हैं जो मैं आपको दे रहा हूं। इस वर्ष विकलांग वर्ष है। 1977 में 49,856 विकलांग लोग थे उनमें अंधे थे 3031 जिनके नाम आपके यहां रजिस्टर में हैं। 1978 में 58,325 और ब्लाइंड इनमें थे 3,893। 1979 में 64,736 और अंधे थे 4043। 1980 में 72,034 और ब्लाइंड थे 5,025/ अब परसेंटेज बताया है ब्लाइंड लोगों का। 1978 में 17.5 परसेंट, 1979 में 14.1 परसेंट, 1980 में 12.6 परसेंट। यह जो आंकड़े हैं इनके आधार पर आप बताइये कितने अंधों को आपने काम दिया। योजना विभाग में आज कितने लोग बेकार हैं इसके आंकडे अलग हैं। 10 करोड़ से ज्यादा पढे लिखे बेकार हैं, उनकी गंभीर समस्या है। मुझे डर है कि अगर हमने इतने लोगों को काम नहीं दिया तो कहीं संविधान न टूट जाय और नक्सलवादी ऐक्टिविटीज न बढ़ने लगें। राजस्थान में 1 करोड़ 50 लाख आदमी अकाल से पीड़ित हैं, उन्हें काम नहीं मिल रहा है, और हमारे साथी श्री नवल किशोर शर्मा जी कह रहे हैं सब इंतजाम हो रहा है, भगवान सब का भला करेगा। यह इनका आशीर्वाद है। मैं कहता हूं आशीर्वाद से काम नहीं बनेगा। . . .

MR. CHAIRMAN: I hope you would continue your speech next time ?

SHRI MOOL CHAND DAGA: Yes, Sir.

MR. CHAIMRAN: Shri Mallikarjun.